मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई–5 अरेरा कालोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल – 462016
फोनः 0755 -2463585,2430154, फैक्सः–0755 -4004137
ई मेलः– secretary@mperc.nic.in वैबसाईटः– www.mperc.in

क्रमांकः मप्रविनिआ/डी(टी)/2026/365 **दिनांक : 02 /03/2026**

सार्वजनिक सूचना

एमबी पावर (मध्य प्रदेश) लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए अपने 2x600 MW थर्मल पावर प्रोजेक्ट अनुपपुर, मध्य प्रदेश के लिए आयोग के 28.02.2025 और 27.11.2025 दिनांकित आदेश से अवधारित उत्पादन टैरिफ और अनुपूरक प्रभार के सत्यापन के लिए याचिका दायर की है। यह याचिका विद्युत अधिनियम 2003 धारा 62 तथा धारा 86 (1) ए के एफ जीडी सिस्टम के लिए सहपठित मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण सम्बन्धी निबंधन एवं शर्तें) विनियमन, 2024 के तहत दायर की गई है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए आयोग द्वारा अवधारित एएफसी के सत्यापन हेतु दावा किए गए वार्षिक स्थायी प्रभार का विवरण निम्नानुसार है।

(रूपये करोड़ में राशि)

विवरण	आयोग के 28.02.2025 दिनांकित आदेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए एएफसी का अवधारण	याचिकाकर्ता के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए एएफसी का दावा	सत्यापन राशि
अंश पूंजी पर प्रतिलाभ	345.54	462.18	116.64
अवमूल्यन/अवक्षयण	398.06	398.73	0.67
ऋण पर ब्याज	268.92	236.05	–32.87
प्रचालन और संधारण व्यय	317.34	399.46	82.12
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	105.17	107.92	2.75
कुल वार्षिक स्थायी प्रभार	**1435.03**	**1604.34**	**169.31**
कमः गैर–टैरिफ आय	–2.50	–1.33	1.17
शुद्व वार्षिक स्थायी प्रभार	**1432.53**	**1603.02**	**170.49**
शुद्व वार्षिक स्थायी प्रभार (अनुबंधित क्षमता के लिए)	**429.76**	**480.91**	**51.15**

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए आयोग के अवधारित अनुपूरक प्रभार के सत्यापन हेतु दावा किए गए वार्षिक अनुपूरक (एफ जीडी सिस्टम हेतु) स्थायी प्रभार का विवरण निम्नानुसार हैः

(रूपये करोड़ में राशि)

विवरण	आयोग के 27.11.2025 दिनांकित आदेश के अनुसार वार्षिक अनुपूरक क्षमता प्रभार अवधारण अवधि 01.06.2024 से 31.03.2025 के लिए	याचिकाकर्ता द्वारा अवधि 01.06.2024 से 31.03.2025 के लिए वार्षिक अनुपूरक क्षमता (स्थायी) प्रभार का दावा	सत्यापन राशि
अंश पूंजी पर प्रतिलाभ	27.32	38.17	10.85
अवमूल्यन/अवक्षयण	42.38	44.18	1.8
ऋण पर ब्याज	58.42	61.36	2.94
प्रचालन और संधारण व्यय	14.71	15.91	1.2
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	3.44	3.59	0.15
वर्षिक अनुपूरक स्थायी प्रभार	**146.28**	**163.34**	**17.06**
वर्षिक अनुपूरक स्थायी प्रभार एमपीपीएमसीएल शेयर 30% के लिए	**43.88**	**49.00**	**5.12**
संचालित दिनो की संख्या	304	304	304
संचालित दिनो की संख्या के लिए अनुपूरक स्थायी प्रभार	**36.55**	**40.81**	**4.26**

आयोग ने याचिका को स्वीकार कर इसे याचिका संख्या 04/2026 के रूप में दर्ज किया हें।

इस संबंध में आपत्ति/टिप्पणी /सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति उनके तथ्यों की पुष्टि में दस्तावेजों और साक्ष्यों की प्रतियों के साथ अपने मोबाइल नंबर एवं ईमेल आई.डी. सहित अपनी आपत्ति/टिप्पणी/सुझाव सीधे सचिव, म.प्र विद्युत नियामक आयोग, ''मेट्रोप्लाजा'', तल– 5, ई–5, अरेरा कॉलोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल –462016 को इस प्रकार भेज दें की इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से **21 दिनों** के अंदर आयोग कार्यालय पहुँच जाए। इसकी एक प्रति निदेशक एमबी पावर (मध्य प्रदेश) लिमिटेड, 239, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट फेज –III, नई दिल्ली 110020 को भी भेज दें। आपत्तियों/टिप्पणियों/सुझावों की अग्रिम प्रति को फैक्स अथवा ई–मेल से भी भेजा जा सकता हैं। किसी शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है।

इच्छुक व्यक्ति याचिका (अंग्रेजी संस्करण) की प्रति कार्य दिवस में पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 4:00 बजे तक आयोग कार्यालय या एमबीपीएमपीएल 239, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट फेज – III, नई दिल्ली 110020 से प्राप्त कर सकते है। इसके लिए 200 रू. नकद या किसी अनुसूचित बैंक का 200 रू. का डिमाण्ड ड्राफ्ट एमपीईआरसी के नाम भोपाल में देय या एमबी पावर (मध्य प्रदेश) लिमिटेड के नाम से नई दिल्ली में देय देना होगा। याचिका की प्रति 50 रू. अतिरिक्त डाक शुल्क भुगतान कर डाक से भी प्राप्त की जा सकती है। यह याचिका आयोग की वेबसाइट www.mperc.in पर भी उपलब्ध है।

इस प्रकरण में जन सुनवाई का आयोजन (हाईब्रिड मोड) दिनांक **07.04.2026** को प्रातः **12:00** बजे किया जायेगा। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने निर्धारित समय सीमा में अपने लिखित आपत्ति/टिप्पणी/सुझाव प्रस्तुत किये हैं, उनके मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई.डी. पर उक्त जन सुनवाई हेतु आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध गाईडलाईन्स के अनुसार उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचना दी जायेगी।

आयोग के आदेशानुसार

(संजय कुमार बघेल)
प्रभारी सचिव